*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–3/NGRBA-11/2012 19 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 06/07/18

विषयः– हाजीपुर सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु मौजा दिग्घीकला में अर्जित 10.09 एकड़ भूमि के पुनरीक्षित दर पर मुआवजा के भुगतान हेतु ₹1214.38930 लाख (बारह करोड़ चौदह लाख अड़तीस हजार नौ सौ तीस रु०) अतिरिक्त राशि की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, हाजीपुर के निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी वैशाली, हाजीपुर द्वारा मौजा–दिग्घीकला, थाना न०– 105, अंचल– हाजीपुर में 10.09 एकड़ भूमि अर्जित की गई। उक्त भू–अर्जन हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा अधियाचित राशि ₹849.26505 लाख (आठ करोड़ उनचास लाख छब्बीस हजार पाँच सौ पाँच रु०) नगर विकास एवं आवास विभागीय पत्रांक– 146, दिनांक– 09.07.2012 द्वारा जिला पदाधिकारी, वैशाली को उपलब्ध भी करा दिया गया।

2. तदोपरांत जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा भू–अर्जन के प्राक्कलन के स्वीकृति की कार्रवाई की गई। निदेशक, भू–अर्जन बिहार के पत्रांक– 985, दिनांक– 14.07.2014 द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम. 2013 के प्रभावी होने के फलस्वरूप राजस्व विभागीय पत्रांक– 283/रा०, दिनांक– 26.02.2014 एवं पत्रांक– 746/रा०, दिनांक– 28.05.2014 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में पुनरीक्षित भू–अर्जन प्राक्कलन तैयार किया गया, जिसकी राशि ₹2063.65435 लाख (बीस करोड़ तिरसठ लाख पैंसठ हजार चार सौ पैंतीस रु०) है। उक्त भू–अर्जन प्राक्कलन की स्वीकृति आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक– 1053, दिनांक– 27.02.2015 द्वारा प्राप्त हो चुका है।

3. इस प्रकार वर्णित भू–अर्जन की स्वीकृत प्राक्कलित राशि एवं विभाग द्वारा पूर्व में आवंटित राशि के अंतर की राशि ₹1214.38930 लाख (बारह करोड़ चौदह लाख अड़तीस हजार नौ सौ तीस रु०) की माँग जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा की गई है।

4. जिला पदाधिकारी, वैशाली के उक्त अनुरोध के आलोक में हाजीपुर सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु मौजा दिग्घीकला में अर्जित 10.09 एकड़ भूमि के मुआवजा भुगतान हेतु ₹1214.38930 लाख

(बारह करोड़ चौदह लाख अड़तीस हजार नौ सौ तीस रु०) अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹1214.38930 लाख (बारह करोड़ चौदह लाख अड़तीस हजार नौ सौ तीस रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

5. स्वीकृत कुल ₹1214.38930 लाख (बारह करोड़ चौदह लाख अड़तीस हजार नौ सौ तीस रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, हाजीपुर होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के पश्चात् वर्णित भू–अर्जन हेतु जिला पदाधिकारी, वैशाली को बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।**

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रुप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/ वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. स्वीकृत राशि ₹1214.38930 लाख (बारह करोड़ चौदह लाख अड़तीस हजार नौ सौ तीस रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48, मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष– 0113– भू–अर्जन, विपत्र कोड– **48-2217031910113,** विषय शीर्ष– 0113.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से राशि का व्यय किया जायेगा।

9. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–3/NGRBA-11/2012 के पृष्ठ सं०–.....67...../टि० पर दिनांक–.....5/6/2018 को प्राप्त है।

13. वर्णित भू–अर्जन के लिए राशि की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार, माननीय मंत्री द्वारा संचिका संख्या–3/NGRBA-11/2012 के पृष्ठ सं०–.....67...../टि० पर दिनांक–.....4/7/2018..... को स्वीकृति प्रदान की गई है।

14. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, वैशाली/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, हाजीपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

06.07.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–3/NGRBA-11/2012 19 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–06/07/18

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, वैशाली/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, हाजीपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.07.18

सरकार के विशेष सचिव।